बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 109 ● नई दिल्ली ● शनिवार 07 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 एवं मेगा विधिक सहायता शिविर को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश

कुशीनगर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर प्रभात सिंह द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 एवं दिनांक 22 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के सफल आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस क्रम में जनपद कुशीनगर की समस्त तहसीलों, थानों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतनों, राजकीय संप्रेक्षण गृहों सहित अन्य स्थलों पर तैनात परा विधिक स्वयं सेवकों को निर्देशित किया गया कि वे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर आम जनमानस को उक्त मेगा शिविर की जानकारी दें तथा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

दिल्ली को जल्द मिल सकती है प्रदूषण और जाम की समस्या से मुक्ति

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शहरी परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित और एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एक समर्पित दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड के गठन हेतु एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह पहल दिल्ली की वर्तमान में खंडित परिवहन प्रणाली को एक छत के नीचे लाने तथा एक कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन ढांचा विकसित करने का लक्ष्य रखती है। मुख्यमंत्री ने इस विधेयक के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में परिवहन, शहरी विकास, वित्त, योजना, लोक निर्माण और दिल्ली पुलिस जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। साथ ही, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और भारतीय रेलवे जैसे महत्वपूर्ण नागरिक एवं परिवहन संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की विभिन्न परिवहन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर मार्ग योजना, अवसंरचना विकास और सेवा प्रदायगी में आ रही कमियों को दूर करना है। इसके गठन से मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे परिवहन समाधान अधिक कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है, क्योंकि सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन निजी वाहनों पर निर्भरता कम करेगा और सड़कों पर जाम को भी घटाएगा। दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना से शहरी परिवहन की एकीकृत योजना और प्रबंधन, बहु माध्यम परिवहन सेवाओं का प्रभावी एकीकरण, तर्कसंगत किराया संरचना को बढ़ावा और अनुसंधान व नीति अध्ययन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

टास्क फोर्स की भूमिका और समय-सीमा

टास्क फोर्स को दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की संरचना को अंतिम रूप देने, हितधारकों से परामर्श करने और विधेयक के अधिनियमन में सहायता करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दृष्टि, मिशन और लक्ष्यों के निर्धारण हेतु बोर्ड बैठकों का आयोजन और इसके संचालन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्यों को भी यह पूरा करेगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, टास्क फोर्स को तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी, जिसके बाद विधेयक को विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड शहर की दीर्घकालिक और बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत शहरी गतिशीलता योजना को सक्षम बनाने के लिए एक समर्पित वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करेगा।

परीक्षा पे चर्चा-पीएम ने बच्चों को असम के गमछे पहनाए

मोदी बोले- एक साल में हर विदेशी चीज स्वदेशी से बदलें; चर्चा की 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में देशभर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर मोदी ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए। पहले एपिसोड में मोदी ने बच्चों को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी। साथ ही, बच्चों से कहा कि वो 25 साल में विकसित भारत बनाने को अपना सपना बनाएं।

पीएम मोदी की चर्चा की 5 बड़ी बातें-

विकसित भारत को अपना सपना बनाएं पीएम बोले- जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब आप लोग 39-40 साल के होंगे। आपको अभी से विकसित भारत को अपना सपना बनाना चाहिए। भगत सिंह आजादी का सपना दिल में रखकर फांसी पर झूल गए। जो आजादी से 25 साल पहले, 30 साल पहले बलिदान किए गए, उसी से आजादी मिली। अपना सपना बनाएं कि विकसित भारत के लिए मुझे क्या करना है।

खुद पर भरोसे से भगाएं कोई भी डर स्टूडेंट ने सवाल किया कि प्रेजेंटेशन देते समय मैं घबरा जाता हूं। इस डर को कैसे भगाऊंपीएम ने कहा- कभी देखा है कि फुटपाथ पर कोई गरीब महिला भी जब टीवी पर किसी घटना के बारे में बताती है तो कितने आत्मविश्वास से बात करती है। क्या उसने इंटरव्यू की कोई प्रैक्टिस की है नहीं। उसका आत्मविश्वास आता है सचाई है। उसे पता है कि उसने जो देखा वही कहना है। आप भी अपने किए हुए पर भरोसा रखें तो प्रेजेंटेशन का डर भाग जाएगा। देश की अमर कहानियों पर गेम बनाओ गोवा के श्रीजीत गाडगिल ने सवाल किया, मेरा गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मगर पैरेंट्स नहीं समझते। मैं क्या करूं। पीएम ने जवाब दिया- भारत देश कहानियों से भरा हुआ है। आप खुद के गेम बनाओ। पंचतंत्र की कहानियों पर गेम बनाओ। अभिमन्यु की कहानी पर गेम बनाओ और अपनी वेबसाइट बनाकर उसपर लॉन्च करो। धीरे-धीरे देखोगे कि कितने लोग तुम्हारे गेम्स खेल रहे हैं। मार्क्स-मार्क्स की बीमारी से बचो एक स्टूडेंट के सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा- पता नहीं ये मार्क्स-मार्क्स की बीमारी कैसे फैल गई है। आप लोगों को पिछले साल के टॉप 1 से 10 तक के नाम याद हैं क्या ये उपलब्धि तो कुछ देर के लिए होती है। हमें ये देखना चाहिए कि पढ़ाई से हमारे जीवन पर क्या असर हुआ है। न कि ये कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं। स्किल या मार्क्स में से एक के पीछे न भागो एक स्टूडेंट ने पीएम से सवाल किया कि स्किल जरूरी है या मार्क्स पीएम मोदी ने कहा कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। अगर एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे ही। जीवन में स्किल की जरूरत तो होगी ही और स्टूडेंट होने के नाते मार्क्स लाने भी जरूरी हैं। सही जवाब है कि दोनों के बीच संतुलन चाहिए।

9 फरवरी को जारी होगा अगला एपिसोड

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का अगला एपिसोड 9 फरवरी सुबह 10 बजे जारी होगा। इसे छ्रु न्यूज या शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर देख सकेंगे।

घबराएं नहीं..., लापता हो रहे बच्चों के विवाद में दिल्ली पुलिस ने की ये अपील

नई दिल्ली।

दिल्ली पुलिस ने लापता व्यक्तियों, खासकर बच्चों के मामलों को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस ने कहा कि राजधानी में लापता व्यक्तियों या बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है।

जनवरी 2026 में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि मामलों में कमी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, दिल्ली में अपराधों और लापता मामलों की रिपोर्टिंग पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है।

लापता व्यक्तियों की शिकायत न केवल स्थानीय थाने में, बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या ERSS-112 पर भी दर्ज कराई जा सकती है। निर्धारित स्क्क के तहत सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाती है, जिसमें बच्चों के मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में समर्पित Missing Persons Squads गठित की हैं, जबकि क्राइम ब्रांच में Anti Human Trafficking Unit सक्रिय रूप से कार्यरत है। इन इकाइयों के माध्यम से लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों की तलाश में केंद्रित और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लापता होने या अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता अब तक सामने नहीं आई है।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों के सभी मामलों का पंजीकरण तुरंत किया जाए, जांच पूरी निष्ठा से हो और संभव प्रयासों से उन्हें जल्द से जल्द परिजनों से मिलाया जाए। पुलिस ने आश्वासन दिया कि वह नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए सदैव तत्पर है।

प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में 97 मिनट भाषण दिया, लेकिन ट्रंप के दावों पर चुप्पी साधे रहे : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह बृहस्पतिवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए 97 मिनट तक बोले लेकिन उन्होंने अपने मित्र (अमेरिका के राष्ट्रपति) डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर चुप्पी साधे रखी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष उनके हस्तक्षेप से रुका था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को समाप्त कराया। ट्रंप ने पहली बार पिछले साल 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान सैन्य टकराव को पूर्ण रूप से और तत्काल रोकने पर सहमत हुए। हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक

(डीजीएमओ) के संपर्क करने के बाद सैन्य टकराव रोकने पर विचार किया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री ने कल शाम राज्यसभा में एक बार फिर यह दिखा दिया कि उनके भीतर असुरक्षाओं का कितना बड़ा पुलिंदा है, वह किस तरह लगातार झूठ फैलाते हैं, उनके पास पूर्वाग्रहों का कितना बड़ा भंडार है और उनके भीतर कितनी कड़वाहट, विष एवं जहर भरा हुआ है। एक बात बिल्कुल साफ है कि वह चाहे खुद को कितना ही महान आदमी घोषित करते रहें, जितना ज़्यादा वह ऐसा करेंगे, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि वह न तो अच्छे आदमी हैं और न कभी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, उनके 97 मिनट के भाषण को दयनीय कहना भी एक बहुत हल्का आकलन होगा। वह अपनी ही निजी नफरतों के कैदी हैं। उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी गंभीर सवाल का जवाब नहीं दिया। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, इस बीच, वाशिंगटन डीसी में बैठे उनके अच्छे मित्र (ट्रंप) लगातार यह कहते जा रहे हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में हस्तक्षेप किया था और यह दावा अब तेजी से शतक के करीब पहुंच रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं- ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 19 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में 20 से अधिक जवानों की शहादत के बाद चीन को दी गई अपनी कुख्यात क्लीन चिट पर चुप्पी साध ली थी।

जनता ने खारिज कर दिया तो राहत पाने अदालत चले आए, सीजेआई की प्रशांत किशोर की पार्टी को फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जन सुराज पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। प्रशांत किशोर की पार्टी ने राज्य में फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। पार्टी का आरोप था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे गए। पार्टी के मुताबिक यह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस

जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपकी पार्टी को कितने वोट मिले जब जनता नकार देती है, तो आप लोकप्रियता पाने के लिए अदालत का सहारा लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह पार्टी सत्ता में आती, तो शायद वह भी यही काम करती। कोर्ट ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल के कहने पर पूरे राज्य का चुनाव रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हर उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस और अलग आरोप होने चाहिए। कोर्ट ने सीनियर वकील सी यू सिंह से कहा कि यह मामला एक राज्य से जुड़ा है, इसलिए उन्हें पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए। बिहार चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता बचाई थी। वहीं इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिली थीं, जबकि जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसके यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि कर्ज में डूबे राज्य ने चुनाव से ठीक पहले 15,600 करोड़ रुपये बांटे। इससे दूसरी पार्टियों को बराबरी का मौका नहीं मिला। पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की मदद दी जाती है।

एआई का भविष्य

कृत्रिम बुद्धिमत्ता इक्कीसवीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति में से एक है जो संपूर्ण उद्योगों को नया रूप दे रही है और लोगों के जीवन और कार्यशैली को बदल रही है। भारत में एआई ने अपार संभावनाएं दिखाई हैं जिसमें कई उद्योगों में नवाचार और विकास के विभिन्न अवसर मिल रहे हैं। एक जीवंत डिजिटल उद्योग और योग्य व्यक्तियों की विशाल संख्या के साथ भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य उज्ज्वल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बहुमूल्य संपत्ति है जो न केवल प्रौद्योगिकी, बल्कि भारत के विभिन्न उद्योगों में नवाचार को गति प्रदान कर सकती है। सही निवेश, कानून और कार्यबल विकास के साथ एआई में देश के लिए अपार आर्थिक और सामाजिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत एआई के क्षेत्र में विश्व अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है। उत्पादकता बढ़ाकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और नए बाज़ार खोलकर एआई भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एआई से स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा सहित कई उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। भारतीय सरकार ने एआई के महत्व को पहचानते हुए एआई-फॉर-ऑल कार्यक्रम और राष्ट्रीय एआई रणनीति जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक समृद्ध एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों में एआई अनुसंधान, विकास और इसके उपयोग को आगे बढ़ाना है। भारत का वित्तीय उद्योग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल को बेहतर बनाने और धोखाधड़ी का पता लगाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। निवेशक एआई-संचालित रोबो-एडवाइजर का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, जो कम लागत पर पोर्टफोलियो प्रबंधन और व्यक्तिगत वित्तीय सलाह प्रदान करते हैं। भारत में बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण, प्लेटफॉर्म और समाधान दुनिया की जरूरतों के अनुसार पेश किए जाएंगे और दिखाया जाएगा कि भारत अब केवल टेक सेवाएं देने वाला देश नहीं रहा। भारतीय स्टार्टअप, रिसर्च संस्थान और टेक कंपनियां अब अपने खुद के एआई प्रोडक्ट और डिजिटल टूल विकसित कर रही हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। यह बदलाव दिखाता है कि भारत तकनीक में सहयोगी नहीं, बल्कि समाधान देने वाला आत्मनिर्भर देश बन रहा है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का दबदबा 2026 में भी कायम है, तो वहीं अपने आप में वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता बताने के लिए काफी है। ब्रांड फाइनेंस की नयी रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर की शीर्ष 25 आईटी सेवा कंपनियों में भारत और अमेरिका की आठ-आठ संस्थाएं शामिल हैं। यानी वैश्विक आईटी रैंकिंग में भारत और अमेरिका बहुत करीब खड़े हैं। यह संकेत है कि भारतीय आईटी कंपनियां विश्व स्तर पर बेहद मजबूत और भरोसेमंद हैं। इस नयी सूची में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस ने दुनिया के क्रमशः दूसरे और तीसरे आईटी सेवा ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टीसीएस लगातार पांचवें वर्ष दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड बना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, 21.2 अरब डॉलर के ब्रांड मूल्य वाले टीसीएस को प्रशंसा और विश्वसनीयता जैसे प्रमुख मानकों पर बेहद मजबूत स्कोर मिला है, जो इसे एक भरोसेमंद और विश्वसनीय कारोबारी साझेदार के रूप में स्थापित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2026-27 भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं में एक रणनीतिक मोड़ है। असेंबली कार्यों को आकर्षित करने पर केंद्रित पिछले बजटों के विपरीत यह बजट कच्चे माल से लेकर बौद्धिक संपदा तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में स्वदेशी क्षमता को लक्षित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। उन्होंने एआई को बेहतर शासन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया और कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों, छात्रों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी एआई इकोसिस्टम तैयार करना है। इस मिशन के तहत कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटासेट और टैलेंट डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कृषि के लिए 'भारत-विस्तार' प्लेटफॉर्म और दिव्यांगों के लिए एआई-संचालित उपकरणों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा विदेशी क्लाउड कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार एआई और मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एवं चिप डिजाइन तथा रिसर्च इनिशिएटिव्स को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अन्य आर एंड डी एवं इनोवेशन फंड्स के माध्यम से मजबूत समर्थन देगी। सरकार ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के दूसरे चरण को लॉन्च करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य भारत में ही उपकरण और सामग्री का निर्माण करना और चिप डिजाइन को अपनी बौद्धिक संपदा विकसित करना है। एआई क्षेत्र में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में विशेष स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति अध्ययन करेगी कि एआई जैसी उभरती तकनीकों का नौकरियों और कौशल की जरूरतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक बहुमूल्य संपत्ति है जो न केवल प्रौद्योगिकी बल्कि भारत के विभिन्न उद्योगों में नवाचार को गति प्रदान कर सकती है। सही निवेश, कानून और कार्यबल विकास के साथ एआई में देश के लिए अपार आर्थिक और सामाजिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत एआई के क्षेत्र में विश्व अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है।

ममता बनर्जी का 'वकील' रूप

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प. बंगाल की मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी देश की ऐसी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने जमीन पर संघर्ष करके लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है और अपने राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रति समर्पित रहते हुए अपने राज्य से लम्बी वामपंथी सत्ता का खात्मा करने में सफलता प्राप्त की है। ममता दी की खासियत रही है कि वह वर्तमान राजनीति की सभी वर्जनाओं के बीच अपनी सफलता का रास्ता इस प्रकार बनाती हैं कि उनके विरोधी आश्चर्यचकित होकर नई नई परिस्थितियों में अपनी भूमिका तलाशते रह जाते हैं। पिछले दिनों से उन्होंने जिस प्रकार देश के चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है उसे भी उन्होंने अपने अन्दाज में एक नया आयाम देते हुए सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक नई परिभाषा दी और सिद्ध किया कि वह जब कोई सैद्धान्तिक लड़ाई छेड़ती है तो उसमें सीधे जनता की भागीदारी को प्रमुख बनाकर ही संघर्ष करती हैं। पूरे भारत को मालूम है कि ममता दी चुनाव आयोग द्वारा उनके राज्य में की जा रही गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरुद्ध हैं और उनका मानना है कि जो कार्य अतीत में दो वर्ष के भीतर पूरा होता था उसे चुनाव आयोग केवल तीन महीने के भीतर ही पूरा करा रहा है अतः इस प्रक्रिया में ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक है जिनका असर सामान्य मतदाताओं पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इस मामले में मूल प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग एक ऐसी स्वतन्त्र व संवैधानिक संस्था है जो अपना कार्य सीधे संविधान से शक्ति लेकर करती है। इस काम में कोई भी और किसी भी दल की देश में स्थापित सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अतः चुनाव आयोग को ममता दी द्वारा दी गई चुनौती का अपना संवैधानिक महत्व है। इस सिलसिले में यह समझे जाने की सख्त जरूरत है कि चुनाव आयोग भारत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था की पुख्ता जमीन तैयार करने के लिए जिम्मेदार इसी शर्त पर होता है कि देश के प्रत्येक जायज नागरिक के पास एक वोट देने का अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहेगा जिससे वह इसका प्रयोग करके देश के लोकतन्त्र में सहभागिता कर सके और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ममता दी का मूल तर्क यही है कि चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण लोगों को मताधिकार देने के लिए नहीं बल्कि उनके इस अधिकार को काटने के लिए कर रहा है। इस सन्दर्भ में उनकी सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं पहले से ही दायर थीं मगर उन्होंने कल एक निजी याचिका भी दायर की और दलील दी कि पुनरीक्षण के जरिये भारत के लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पैरवी खुद भी की और न्यायाधीशों के समक्ष अपने तर्कों को प्रस्तुत किया। स्वतन्त्र भारत में यह पहला मामला है कि जब किसी राज्य के मुख्यमन्त्री ने अपने मुकदमे की पैरवी खुद की हो। इससे उनकी उस दृढ़ इच्छा शक्ति का पता चलता है कि वह जिस काम को पकड़ लेती हैं उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण के जरिये उनके राज्य को निशाना बना रहा है और इसके लोगों पर मनमानी थोप रहा है। ममता दी के इस प्रकार से वकील रूप में प्रकट हो जाने के निश्चित रूप से राजनीतिक मायने भी हैं क्योंकि उनके इस तरह सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करने से आम जनता तक सकारात्मक सन्देश गया है। राज्य में जल्दी ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं अतः उनके विरोधियों को इसकी काट भी अभी से सोचनी होगी। ममता दी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी निजी याचिका दाखिल की है जिसमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्याय पाने का अधिकार समाहित है। ममता दी ने सर्वोच्च न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि चुनाव आयोग इसी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी कर रहा है क्योंकि प. बंगाल में वह आधार कार्ड को नागरिकों के निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है जबकि न्यायालय ने आदेश दिया था कि आधार कार्ड भी जायज मतदाताओं की पहचान का एक दस्तावेज माना जायेगा। मगर प. बंगाल में चुनाव आयोग आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है जिसकी वजह से लाखों मतदाताओं को भारी परेशानी हो रही है जबकि अन्य राज्यों में किये गये पुनरीक्षण में न केवल आधार कार्ड को, बल्कि आवास प्रमाणपत्र, परिवार पंजीयन कार्ड, सरकारी आवास प्रमाणपत्र व स्वास्थ्य कार्ड स्वीकार किये जा रहे हैं। इस मामले में जाति प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जा रहा है परन्तु प. बंगाल में पुनरीक्षण करते वक्त चुनाव आयोग इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है जिससे राज्य के लोगों के समक्ष अपने मतदाता होने का दावा प्रस्तुत करने में भारी कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण का ऐसा समय चुना जो कि उनके राज्य में त्यौहारों का समय होता है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहते हैं। जाहिर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में संज्ञान लिया है और मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की है परन्तु सर्वोच्च न्यायालय में गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की संवैधानिकता पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस सन्दर्भ में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब सवाल यह है कि प. बंगाल में चुनाव आयोग जिन आधारों पर मतदाताओं के नाम सूची से काट रहा है उनकी गहन जांच हो। इस बारे में स्पष्ट है कि ऐसी किसी भी महिला मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता है जिसने शादी करने के बाद अपना निवास बदल लिया हो और उसके नाम में नया उपनाम जोड़ दिया गया हो। ममता दी का तर्क है कि उनके राज्य में चुनाव आयोग यह काम कर रहा है। अतः सर्वोच्च न्यायालय को इन सभी पक्षों पर अपना निर्णय देना होगा। जहां तक ममता दी का सवाल है तो वह निश्चित रूप से देश के सभी राजनीतिज्ञों के बीच अपना एक अलग व विशिष्ट स्थान रखती हैं और राजनीति को सोते-जागते जीती हैं।

सम्पादकीय...

भारत 2047

पीढ़ियों से भारत के श्रमिकों ने एक पुरानी और टुकड़ों में बंटी श्रम प्रणाली का बोझ उठाया है, जो अक्सर उनके वेतन, सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा की रक्षा करने में विफल रही है। असंगठित, संविदा और उभरते गिग क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक नीति-परिदृश्य में अदृश्य रहे हैं और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं। चार श्रम संहिताएं इन ऐतिहासिक अन्यायों का सुधार करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। लगभग तीन दर्जन अलग-अलग कानूनों को एक सुसंगत,एकल ढांचे में लाकर ये संहिताएं न्यायसंगत वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं जो लंबे समय से वंचित रहे हैं। वर्षों के परामर्श और बहस के बाद इनका कार्यान्वयन, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने तथा अधिक स्थिर और मानवतापूर्ण रोजगार वातावरण बनाने में निर्णायक क्षण का प्रतीक है। एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में भारतीय ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू),कामगारों की दीर्घकालिक भलाई, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मोर्चा दृढ़ता से मानता है कि 12 फरवरी को श्रम संहिताओं के खिलाफ हड़ताल में भाग लेना न तो आवश्यक है और न ही वर्तमान समयमें श्रमिक वर्ग के सर्वोत्तम हित में है। श्रम संहिताएं कोई अचानक या एकतरफा हस्तक्षेप नहीं हैं। ये दो दशकों से अधिक समय तक चली सुधार प्रक्रिया का परिणाम है। 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके, अस्पष्टता को कम किया जा सके तथा कार्य और रोजगार की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप भारत की श्रम रूपरेखा को आधुनिक बनाया जा सके। श्रम संहिताओं को पूरी तरह खारिज करना उन मौलिक लाभों की उपेक्षा करता है जो वे श्रमिकों को प्रदान करने का प्रयास करती है। वेतन संहिता सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन कवरेज और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद वेतन सुरक्षा के अंतर को दूर किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, पहली बार, असंगठित, संविदा, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विधायी रूपरेखा तैयार करती है। इन श्रमिकों की संख्या लगभग 40 करोड़ है और पहले ये श्रमिक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। ये प्रावधान भारत में श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का ऐतिहासिक विस्तार प्रस्तुत करते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता तथा पेशे से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-परिस्थिति संहिता का उद्देश्य औद्योगिक सद्भाव, तेजविवाद निवारण और सुरक्षित, स्वस्थ व अधिक सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देना है। कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, अनुभव बताते हैं कि व्यापक विरोध और हड़तालों से शायद ही रचनात्मक परिणाम मिलते हैं।

भविष्य की करेंसी पर भारत का होगा कंट्रोल

पहले मिशन में हमने दुनिया को दिखाया कि हम फैब लगा सकते हैं, अब मिशन 2.0 में हम दिखाएंगे कि हम टेक्नोलॉजी ईजाद भी कर सकते हैं। ISM 2.0 के लिए शुरुआती 1,000 करोड़ रुपये अलग से रख दिए गए हैं। सानंद में माइक्रोन का प्लांट फरवरी 2026 के अंत तक पूरी तरह उत्पादन शुरू करने जा रहा है। यह भारत का पहला बड़ा कमर्शियल चिप पैकेजिंग प्लांट है। धोलेरा में टाटा का जो प्लांट आ रहा है, वो तो गेम चेंजर है ही। बजट 2026 ने इस आग में घी डालने का काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मोबाइल और लैपटॉप का हर छोटा-बड़ा पुर्जा अब मेड इन इंडिया होगा। अब असली बात पर आते हैं कि आखिर मोदी सरकार इतना आक्रामक क्यों हो रही है तो मोदी सरकार के लिये यह विशुद्ध रूप से देश की सुरक्षा का मामला है। सरकार की सोच एकदम साफ है- स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी । मतलब, अपनी शर्तों पर जीना। आज के दौर में अगर आपके पास सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ नहीं हैं, तो आपकी आधुनिक सेना अपाहिज है। हमारे तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइलें, न्यूक्लियर सबमरीन, सैटेलाइट्स और ड्रोन, इन सबमें हाई-ग्रेड चिप्स और रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं। सरकार चीन को पछाड़ कर 'इंडिया फर्स्ट' की रणनीति ला रही है। इन सबके लिए हमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ चाहिए। मोदी सरकार आज जो बीज बो रही है, उसका फल आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। यह भविष्य की करेंसी को अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी है।

तारीख 1 फरवरी 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में बजट का पिटारा खोल रही थीं तो पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन्स पर चिपकी थीं लेकिन यह बजट सिर्फ आमदनी और खर्च का हिसाब-किताब नहीं था। यह भारत का एक ऐसा 'वॉर डिक्लेरेशन' था जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक सुनाई दी है। इसे सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज समझना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसे भारत की जियोपॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक कहना ज्यादा मुफीद होगा। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां तेल अब पुरानी खबर हो चुका है। डेटा नया तेल है, यह भी अब घिसा-पिटा डायलॉग हो गया है। असली खेल अब क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सेमीकंडक्टर्स का है। जिसे हम और आप मामूली पत्थर या रेत समझते हैं, असल में वही 21वीं सदी का सोना है और 2026 के इस बजट में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत अब इस सोने का खरीदार नहीं, बल्कि सौदागर बनेगा। मामला बड़ा पेचीदा है। इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आज हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कार हो, सीमा पर तैनात हमारी मिसाइलें हों, फाइटर जेट का गाइडेंस सिस्टम हो, या फिर विंड टरबाइन के मैग्नेट-इन सबमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं। और कड़वा सच यह है कि पिछले तीन दशकों से चीन ने इस मार्केट को अपनी जागीर बना रखा था लेकिन 1 फरवरी 2026 को भारत ने कह दिया है, बस, अब और नहीं! बजट में जो सबसे बड़ी बात सामने आई, वह है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। यह कोई हवा-हवाई बात नहीं है। सरकार ने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया है, ताकि हम चीन की गुलामी से आजाद हो सकें। सरकार ने कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती की है अब जरा इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे था, वह है हमारा राजस्थान। वीरों की भूमि राजस्थान। अब तक हम राजस्थान को सिर्फ पर्यटन, किले और रेगिस्तान के लिए जानते आए हैं लेकिन बजट 2026 ने राजस्थान की तकदीर का पन्ना पलट दिया है। यहां की चट्टानों में ऐसे रेयर अर्थ छिपे हैं जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। तटीय इलाकों में जो रेयर अर्थ मिलता है, वो रेत में होता है लेकिन राजस्थान में यह ठोस चट्टानों में है। बजट में इसी एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के लिए भारी-भरकम छूट दी गई है। इसका मतलब है कि नागौर और आस-पास के क्षेत्रों में अब बड़ी-बड़ी रिफाइनरीज खड़ी होंगी। नागौर के डेगाना क्षेत्र में तो पहले ही लिथियम और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स के संकेत मिल चुके हैं। चूंकि राजस्थान पहले से ही सोलर एनर्जी का किंग है, अब वहां बैटरी बनाने की फैक्ट्रियां भी लगेंगी। यानी बिजली भी वहीं बनेगी और उसे स्टोर करने वाली बैटरी भी। सोचिए, अब राजस्थान में किस कदर नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। अब नजर घुमाते हैं देश के बाकी हिस्सों पर, क्योंकि यह लड़ाई अकेले राजस्थान नहीं लड़ सकता। यह टीम इंडिया का गेम है। बजट ने दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों - केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को एक रणनीतिक कवच में बदल दिया है। सरकार ने इन चार राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। यह कोई सड़क वाला कॉरिडोर नहीं है, यह एक पूरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। केरल और तमिलनाडु के पास समुद्र तट पर मोनाजाइट रेत का खजाना है। बजट में 7,280 करोड़ रुपये की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम को हरी झंडी दिखाई गई है। इसका मकसद कच्ची मिट्टी नहीं, बल्कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को तो सरकार ने ईवी और मैग्नेट हब बनाने की ठान ली है।

रेयर अर्थ से जो परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर का दिल होते हैं। अब तक हम ये चुंबक चीन से मंगाते थे। बजट का प्लान यह है कि तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में ये चुंबक बनें और वहीं बगल में बन रही इलेक्ट्रिक कारों में फिट हो जाएं। सप्लाई चेन का ऐसा इंटीग्रेशन चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है और गुजरात तो सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। बजट में वित्त मंत्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (ISM 2.0) का ऐलान किया है। पहले मिशन में हमने दुनिया को दिखाया कि हम फैब लगा सकते हैं, अब मिशन 2.0 में हम दिखाएंगे कि हम टेक्नोलॉजी ईजाद भी कर सकते हैं। ISM 2.0 के लिए शुरुआती 1,000 करोड़ रुपये अलग से रख दिए गए हैं। सानंद में माइक्रोन का प्लांट फरवरी 2026 के अंत तक पूरी तरह उत्पादन शुरू करने जा रहा है। यह भारत का पहला बड़ा कमर्शियल चिप पैकेजिंग प्लांट है। धोलेरा में टाटा का जो प्लांट आ रहा है, वो तो गेम चेंजर है ही। बजट 2026 ने इस आग में घी डालने का काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मोबाइल और लैपटॉप का हर छोटा-बड़ा पुर्जा अब मेड इन इंडिया होगा। अब असली बात पर आते हैं कि आखिर मोदी सरकार इतना आक्रामक क्यों हो रही है तो मोदी सरकार के लिये यह विशुद्ध रूप से देश की सुरक्षा का मामला है। सरकार की सोच एकदम साफ है- स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ।

मतलब, अपनी शर्तों पर जीना। आज के दौर में अगर आपके पास सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ नहीं हैं, तो आपकी आधुनिक सेना अपाहिज है। हमारे तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइलें, न्यूक्लियर सबमरीन, सैटेलाइट्स और ड्रोन, इन सबमें हाई-ग्रेड चिप्स और रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं। सरकार चीन को पछाड़ कर 'इंडिया फर्स्ट' की रणनीति ला रही है। इन सबके लिए हमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ चाहिए। मोदी सरकार आज जो बीज बो रही है, उसका फल आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। यह भविष्य की करेंसी को अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी है। सरकार ने अपना काम कर दिया है - रास्ता दिखा दिया है, पैसा दे दिया है और नियम आसान कर दिए हैं। अब बारी हमारी इंडस्ट्री और हमारे युवाओं की है कि वे इस मौके को लपक लें। याद रखिए, दुनिया बदल रही है। जो देश आज अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित कर लेगा, कल वही दुनिया पर राज करेगा। भारत ने अपनी कमर कस ली है। चीन को टक्कर देने के लिए हम मैदान में उतर चुके हैं। यह खनिजों का युद्ध है और इस बार भारत जीतने के लिए खेल रहा है।

डिजिटल युग में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के ऐतिहासिक नियम परिवर्तन

वैश्विक स्तरपर वर्तमान डिजिटल युग में जहां एक ओर तकनीक ने ज्ञान,सूचना और अवसरों को वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक बनाया है,वहीं दूसरी ओर इसी तकनीक के दुरुपयोग ने परीक्षा प्रणालियों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत ही नहीं,बल्कि विश्व के अनेक देशों में उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, डिजिटल हैकिंग,प्रॉक्सी कैंडिडेट्स कोचिंग-माफिया गठजोड़ और मेरिट के क्षरण जैसी घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।भारत में नीट,रेलवे, राज्य लोक सेवा आयोगों और विभिन्न भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं में सामने आए हैं मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि घोटालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक नियमों और ढांचागत कमजोरियों के साथ आधुनिक डिजिटल चुनौतियों का सामना करना अब संभव नहीं रह गया है। इसी पृष्ठभूमि में संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को जारी किया है, वह केवल एक सामान्य भर्ती विज्ञापन नहीं,बल्कि भारत की प्रशासनिक भर्ती प्रणाली में एक ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। यह नोटिफिकेशन न केवल उम्मीदवारों के लिए नियमों में भारी परिवर्तन करता है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी देता है कि आयोग अब मेरिट,अवसरों की समानता,नैतिकता और सेवा- प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा।यूपीएससी सीएसई - 2026 के माध्यम से कुल 933 पदों पर भर्ती की जानी है,जिनमें से 33 पद बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि,इस बार आवेदन भरना मात्र औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि नए नियमों की जटिलता और दीर्घकालिक प्रभाव को समझे बिना किया गया कोई भी निर्णय उम्मीदवार के पूरे करियर को प्रभावित कर सकता है। साथियों बात अगर हम केवल एक अतिरिक्त मौका- सीरियल अटेम्प्ट' संस्कृति पर निर्णायक प्रहार इस बदले हुए नियम को समझने की करें तो, नोटिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधान यह है कि जो आईएएस आईएफएस उम्मीदवार सीएसई -2025 या उससे पहले की परीक्षा के आधार पर किसी भी सिविल सेवा में चयनित या नियुक्त हो चुके हैं,उन्हें सीएसई-2026 या सीएसई -2027 में केवल एक बार और परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा।यह अवसर भी केवल उनके बचे हुए अटेम्प्ट्स के उपयोग तक सीमित रहेगा और इसके लिए उन्हें तत्काल सेवा से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होगी।यह नियम उस प्रवृत्ति पर सीधा प्रहार है जिसमें उम्मीदवार एक सेवा प्राप्त करने के बाद भी बार-बार परीक्षा देकर अपग्रेड सिंड्रोम का शिकार बने रहते थे। इससे न केवल नए और पहली बार प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के अवसर सीमित होते थे,बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी अस्थिरता उत्पन्न होती थी।नए नियमों के अनुसार, जो उम्मीदवार पिछली परीक्षाओं के परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो चुके हैं और वर्तमान में उन सेवाओं के सदस्य हैं, वे सीएसई -2026 में शामिल होने के लिए पूर्णतः अयोग्य होंगे।यह निर्णय वैश्विक प्रशासनिक प्रणालियों के अनुरूप है, जहां शीर्ष सेवाओं को एक करियर-फाइनल डेस्टिनेशन माना जाता है, न कि अस्थायी पड़ाव।इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट हैआईएएस और आईएफएस को एक बार प्राप्त करने के बाद उसे स्टेपिंग स्टोन की तरह प्रयोग करने की मानसिकता कोसटीक रूप से समाप्त करना। साथियों बात अगर हम प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी मैन्स का अवसर नहीं- समय- आधारित निष्पक्षता इसको समझने की करें तो,यदि कोई उम्मीदवार सीएसई -2026 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसे पिछली परीक्षा के आधार पर आईएएस या आईएफएस में नियुक्ति मिल जाती है और वह उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो वह सीएसई -2026 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का पात्र नहीं रहेगा। यह नियम परीक्षा प्रक्रिया में टाइम-लाइन आधारित निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है और दो नावों में पैर रखने की प्रवृत्ति को रोकता है।यदि कोई उम्मीदवार मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले आईएएस या आईएफएस में नियुक्त हो जाता है और सेवा में बना रहता है, तो उसे सीएसए -2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा।यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी उम्मीदवार एक ही समय में दो अलग-अलग चयन प्रक्रियाओं का लाभ न उठा सके। साथियों बात अगर हम हम आईपीएस के लिए 'नो री- एंट्री' नीति को समझने की करें तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित या नियुक्त हो चुके हैं, वे सीएसई -2026 के परिणाम के आधार पर पुनः आईपीएस चुनने या उसमें शामिल होने के पात्र नहीं यह नियम पुलिस नेतृत्व में निरंतरता, प्रशिक्षण निवेश की सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।ट्रेनिंग से केवल एक बार छूट-सेवा- प्रतिबद्धता का नया मानक- आईएएस,आईपीएस या किसी अन्य ग्रुप-, सेवा में चयनित उम्मीदवार सीएसई - 2027 में तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें सीएसई -2026 के आधार पर अलॉट की गई सेवा की ट्रेनिंग से केवल एक बार छूट दी गई हो। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि प्रशिक्षण अब औपचारिकता नहीं, बल्कि सेवा का अनिवार्य और सम्मानजनक हिस्सा है। साथियों बात अगर हम 'नो स्टेप-नो सर्विस'- फाउंडेशन कोर्स की अनिवार्यता को समझने की करें तो,नए नियमों के अनुसार, चयनित उम्मीदवार को फाउंडेशन कोर्स में शामिल होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार न तो ट्रेनिंग में शामिल होता है और न ही विधिवत छूट प्राप्त करता है,तो उसकी सेवा आवंटन स्वतःरद्द कर दीजाएगी। यह प्रावधान प्रशासनिक अनुशासन और संस्थागत संस्कृति को मजबूत करता है। यदि कोई उम्मीदवार सीएसई -2027 में चयनित होता है, तो वह या तो सीएसई -2026 या सीएसई -2027 में अलॉट की गई सेवा में से एक का ही चयन कर सकता है। चयनित सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी सेवा आवंटन स्वतः रद्द कर दिए जाएंगे। यह नियम उम्मीदवारों को स्पष्ट और जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है।दोनों चयन रद्द होने की स्थितिः अंतिम चेतावनी- यदि उम्मीदवार न तो सीएसई -2026 और न ही सीएसई - 2027 के आधार पर आवंटित सेवा की ट्रेनिंग में शामिल होता है, तो दोनों सेवाओं का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। यह प्रावधान यह दर्शाता है कि यूपीएससी अब अनिश्चितता और अनिर्णय को सहन करने के मूड में नहीं है। तीसरे प्रयास से पहले इस्तीफा अनिवार्य- करियर-फाइनलिटी की अवधारणा-नोटिफिकेशन का सबसे निर्णायक नियम यह है कि जो उम्मीदवार पहले दो प्रयासों में चयनित हो चुके हैं, वे तीसरी बार परीक्षा नहीं दे सकते। यदि वे सीएसई -2028 या उसके बाद किसी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना होगा। यह नियम सिविल सेवा को एक पूर्णकालिक प्रतिबद्ध करियर के रूप में स्थापित करता है। अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का नया युग यूपीएससी सीएसई -2026 का यह नोटिफिकेशन केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक भर्ती प्रणाली के नैतिक पुनर्गठन का दस्तावेज है। यह डिजिटल युग की चुनौतियों,अवसरों की समानता,प्रशिक्षण निवेश, सेवा- गरिमा और युवा प्रतिभाओं के लिए न्यायसंगत मंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह सुधार भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा करता है जहां सिविल सेवा को केवल नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व माना जाता है।जो उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक आवेदन करने जा रहे हैं,उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे इस नोटिफिकेशन को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि समझें, विश्लेषण करें और दीर्घकालिक रणनीति के साथ निर्णय लें, क्योंकि अब यूपीएससी में सफलता केवल परीक्षा पास करने का नाम नहीं, बल्कि स्पष्ट दृष्टि, नैतिक प्रतिबद्धता और सेवा-समर्पण की परीक्षा भी बन चुकी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र के ज़रिये दी जायें सुविधाएं: डीएम

आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और पोषण प्रबंधन को लेकर डीएम ने ली बैठक

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत आगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में विस्तृत समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने जनपद में गंभीर अति कुपोषित श्रेणी के चिन्हित बच्चों का एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) के माध्यम से पोषण प्रबंधन कराए जाने को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य सेविकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निर्देश दिए कि गंभीर अतिकुपोषित श्रेणी के बच्चों को चिन्हित करके उनके अभिभावकों को पोषण पुनर्वास केंद्र के माध्यम से प्रदान की जा रही पोषण सुविधाओं के बारे में प्रोत्साहित करते हुए बच्चों को भर्ती कराया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और पोषण प्रबंधन के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप समीक्षा के दौरान परियोजना क्षेत्र कुंदरकी और मुंडापांडे की प्रगति खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई तथा निर्देश दिए की संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी गंभीरता बरतें तथा यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न पैरामीटरों के अनुरूप किसी भी गतिविधि में रा'य के औसत प्रतिशत से कम प्रगति नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए की पोषाहार वितरण के साथ ही नियमानुसार तीन माह में एक बार फोर्टीफाइड चावल का वितरण भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों के अनुरक्षण के लिए प्राप्त धनराशि का भी सदुपयोग करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया साथ ही कहा कि केंद्रों के माध्यम से आयोजित होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वीएचएसएनडी सत्रों का भी गंभीरतापूर्वक आयोजन होना चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी और जिला कार्यक्रम अधिकारी आशुतोष राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी, सीडीपीओ और मुख्य सेविकाएं मौजूद रही।

एसआईआर प्रकिया में धांधली, डीएम से मिले सपा विधायक

फर्जी फार्म-7 के जरिये विशेष वर्ग के वोट काटने का लगाया आरोप

मुरादाबाद।

एसआईआर प्रक्रिया में चल रही धांधली को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायकों एवं पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने डीएम अनुज सिंह से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को अवगत कराया कि एसआईआर प्रक्रिया में विशेष वर्ग के वोट काटने के लिए झूठे फार्म- 7 भरकर दिये जा रहे हैं। मांग उठाई कि राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर एक भी वोट नहीं काटा जाना चाहिए। डीएम ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। सपाईयों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन एवं चुनाव आयोग इस ओर संजीदा नहीं हुआ तो पार्टी सड़क से लेकर सदन एवं अदालत तक संघर्ष करेंगी। सपा नेताओं का आरोप है कि मुरादाबाद के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में फर्जी व प्रिंटेड फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता या उनसे जुड़े लोग पहले से छपे हुए फॉर्म 7 कंप्यूटर से भरकर जमा कर रहे हैं, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर, ईपीआईसी डिटेल्स या नाम डाले जा रहे हैं, गलत या अमान्य मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक-एक व्यक्ति 100-100 फार्म 7 जमा कर रहा है। सपाईयों ने उदाहरण के तौर पर नगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ वोटों का विवरण भी दिया गया है और निष्पक्ष जांच कराये जाने की मांग की है।

इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी, देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, ठाकुरद्वारा विधायक नवाब जान खां, बिलारी विधायक फहीम इरफान, विधायक कांठ कमाल अख्तर, पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन, पूर्व विधायक हाजी रिजवान, लालू परवेज, कमरूमा सैफी आदि मौजूद रहे।

टीएमयू की वॉलीबाल प्रतियोगिता में एग्रीकल्चर और लॉ कॉलेज का जलवा

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद की इंटरकॉलिजिएट वॉलीबाल प्रतियोगी में एग्रीकल्चर और लॉ कॉलेज की टीमों का जलवा रहा। दूसरी ओर क्रिकेट मुकाबलों में मेडिकल, पैरामेडिकल, फिजिकल एजुकेशन और सीसीएसआईटी की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। टग ऑफ़ वॉर की गर्ल्स प्रतियोगिता में फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ने एग्रीकल्चर कॉलेज को से 2-1 से हराकर एकतरफा मैच अपने नाम किया। एग्रीकल्चर कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के मुकाबले में एग्रीकल्चर कॉलेज ने टॉस जीतकर कोर्ट चुना। प्रथम सेट

15-13 और दूसरे सेट 15-13 एग्रीकल्चर कॉलेज ने अपने नाम करते हुए अंततः 2-0 से मुकाबला अपने नाम किया। मुकाबले में एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ से एन. राजू ने स्पाईकर के तौर पर उम्दा प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ एग्रीकल्चर कॉलेज अगले राउंड के लिए क्वालीफाई हुआ। इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज के मुकाबले में लॉ कॉलेज ने टॉस जीतकर कोर्ट चुना। मुकाबले में लॉ कॉलेज ने शुरू से ही दबदबा बनाते हुए पहला सेट 15-3 और दूसरा सेट 15-10 से अपने नाम करते हुए अंततः 2-0 से मुकाबला अपने नाम किया। इस मुकाबले में लॉ कॉलेज की ओर से शशि शंकर ने स्पाईकर के तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ लॉ कॉलेज अगले राउंड के लिए क्वालीफाई हुआ।

क्रिकेट में एजुकेशन और पैरामेडीकल, फिजिकल एजुकेशन और मैनेजमैंट, एग्रीकल्चर और सीसीएसआईटी, मेडिकल कॉलेज और फार्मेसी के बीच मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में मेडिकल, पैरामेडिकल, फिजिकल एजुकेशन और सीसीएसआईटी की टीमों ने जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

बोर्ड बैठक में पारित हुआ एमडीए का बजट

मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद / अध्यक्ष एमडीए आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में तथा उपाध्यक्ष प्राधिकरण अनुभव सिंह ने संयोजन में सम्पन्न हुई। बैठक में मुरादाबाद- गजरौला के विकास पर चर्चा हुई तथा विकास कार्यों हेतु अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। प्राधिकरण के वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2026-27 के मूल व्ययक बजट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। मण्डलायुक्त ने बताया कि महानगर का चहुंमुखी विकास हमारी सर्वो'च प्राथमिकता है। प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही टाउनशिप के प्रति नागरिकों में भारी उत्साह है। गोविन्द पुरम् टाउन शिप निश्चित रूप से महानगर वासियों के लिये वरदान साबित होगी। प्राधिकरण द्वारा जनता के हितार्थ कार्य किये जा रहे है, जिसके लिये प्राधिकरण के अधिकारी बधाई के पात्र है। बैठक में अनेक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुयी। जनता के हितार्थ अनेक निर्णय लिये गयेा बैठक में जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह , उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अनुभव सिंह, सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी अमरोहा, सदस्य प्राधिकरण राजू कालरा, विकास जैन, राम किशोर सिंह समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अनुभव सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आन्दोलन चलायेगी शिव सेना

मुरादाबाद। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा की अगुवाई में आज उनके कार्यालय पर विद्यार्थी सेना युवा शिवसेना के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा की गई। जिला प्रमुख वीरेन्द्र अरोड़ा ने कहा कि जनपद में सरकारी विभागों में मची लूट को लेकर शिवसेना द्वारा जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण करने, गांव तहसील ब्लॉकों में महानगर के प्रत्येक क्षेत्र से शिव सैनिकों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण आंदोलन की तैयारी करने को लेकर कार्यक्रम करने की शुरुआत की जाएगी। बैठक में शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा, महानगर प्रमुख कमल सिंह राव, युवा शिवसेना के पदाधिकारी मुदित उपाध्याय, शिबू पांडे, आकाश सिंह मयंक सैनी अरुण ठाकुर उमेश ठाकुर प्रदीप सिंह नितेश कुमार राजीव राठौर जीतू भाई अमन सिंह महेश कुमार सुरेश सैनी चंचल आदि ने भाग लिया।

मानवता के दुश्मन हैं जाति-धर्म के ठेकेदार- प्रतिक्रिया

फतेहपुर।

समाज की सेवा करने के नाम पर न जाने कितने चेहरे मंचों पर नज़र आ जाते हैं। इतना ही नहीं मानवता के लिए बड़ी-बड़ी बातें भी करते हैं। लेकिन तमाम चेहरे ऐसे भी हैं। जिनका दोहरा चरित्र भी सामने आता रहता है।

देखा यह जाता है कि मानव को मानव से जोड़ने व उनके उत्थान के लिए उतना काम नहीं करते, जितना उनको लड़ाने के लिए करते हैं। ऐसे लोग किस प्रकार से जाति-धर्म का भला करेंगे जब मानवता के लिए दुश्मन बने रहते हैं ? इसी विषय पर कुछ व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं से बातचीत की, प्रस्तुत है उस बातचीत का कुछ अंश...

संदीप कुमार एडवोकेट ने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ इन्सानियत है। मानव जब मानव की सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जाति-धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, वह अपनी वाहवाही के लिए जाति-धर्म के नाम पर मानव को मानव से

लड़वाते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए।

शोएब हसनी एडवोकेट ने कहा कि कोई भी धर्म नहीं कहता कि इन्सानों को इन्सानों से लड़ाओ। इसके बाद भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। खास बात यह है कि ऐसे समय में जब जाति धर्म के ठेकेदारों को आगे आना चाहिए। उस समय भूमिगत हो जाते हैं, जबकि हर्ष कार्यक्रमों में एक साथ मिलकर मंचों की शोभा बढ़ाते हुए सदभावना का संदेश देते हैं। ऐसे ठेकेदारों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

मोहम्मद रेहान व मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जाति-धर्म के नाम पर जो लोग समाज की सेवा का दम्भ भरते हैं। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कभी भी संघर्ष करते नहीं देखा जाता है। अधिकतर दिखावटी कार्यक्रमों में ही दिखाई देते हैं।

संजय अवस्थी एडवोकेट ने कहा कि जो लोग जाति-धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वह जाति और धर्म के लोगों को ही ठगने का काम करते हैं। यह बात समाज में जग जाहिर है कि लोग जिनको भी अपनी अगुवई के लिए चुन लेते हैं। वही अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगता है।

तैयब खान एडवोकेट ने कहा कि अच्छा इन्सान वही है जो बिना भेदभाव के इन्सानियत के लिए कार्य करे। जब उसे समाज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिले तो और भी अधिक जिम्मेदारी के साथ बिना भेदभाव काम करना चाहिए।

शैलेश कुमार द्विवेदी एडवोकेट ने कहा कि जाति और धर्म अपनी जगह है, लेकिन जब समाज व धर्म का दायित्व निभाना पड़े तो समाज के नेतृत्वकर्ताओं को मात्र मानवता के लिए ही कार्य करना चाहिए। जातिवाद नहीं होना चाहिए।

सेराज अहमद खान ने कहा कि समाज को सच्चे और ईमानदार लोगों को अपना नेतृत्वकर्ता चुनना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही कार्य करता है। यदि समाज का नेतृत्वकर्ता झूठा और बेईमान होगा तो लोगों के साथ छल करेगा।

तेलंगाना के विधानसभा स्पीकर को कोर्ट की फटकार; 2019 के अवमानना मामले में वकील की याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष को अंतिम चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, अगर वह तीन हफ्ते के भीतर कासिम में बीआरएस के 10 विधायकों के दलबदल से जुड़ी शेष अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में विफल रहता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने विधायकों की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मिंघवी पेश हुए। जस्टिस करोल ने मिंघवी से कहा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसकी रील न बनाएं। यहीं हो रहा है। ऐसा मत कीजिए। असल में यह एक नया उद्योग है। मिंघवी ने कहा कि एक (अयोग्यता याचिका पर) मामले फैसला लिया गया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष के दो अन्य मामलों में फैसला लेने के करीब हैं। वरिष्ठ वकील मिंघवी ने देरी का जिक्र करते हुए कहा कि राय में निगम चुनाव हैं। उन्होंने सभी लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए समय मांगा। इस पर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों के वकील ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने पहले भी समय मांगा था और इस संबंध में अब तक उनकी ओर से केवल एक ही बैठक की गई है। जस्टिस करोल ने कहा कि पिछली सुनवाई में अध्यक्ष ने तीन हफ्ते का समय मांगा था। लेकिन कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते का समय दिया था, ताकि वे स्थिति को देख सकें। जज ने कहा, हम विधानसभा अध्यक्ष से सकारात्मक फैसले की अपेक्षा करते हैं, अन्यथा हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी समकक्ष बेंच ने एक वकील को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने याचिकाकर्ता और स्वयं पेश हुए वकील मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा से पूछा कि किस कानूनी प्रावधान के तहत सम्मान बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। बेंच ने यह भी पूछा कि किस आधार पर यह याचिका सुनवाई योग्य है। नेदुम्पारा ने कहा कि कोर्ट का कर्तव्य है कि वह किसी भी गलत फैसले में सुधार करे। इस पर बेंच ने कहा, हमें इसे केवल इस आधार पर खारिज करना होगा कि यह विचार के योग्य नहीं है। एक बार जब यह विचार के योग्य नहीं है, तो हम मामले के गुण-दोष पर नहीं जा सकते। इसके बाद बेंच ने नेदुम्पारा से पूछा कि क्या उन्होंने मार्च 2019 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। नेदुम्पारा ने कहा, मैंने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट से उसका रिकॉर्ड गायब है। इस पर सीजेआई ने कहा, यह मत कहिए कि रिकॉर्ड गायब है। क्या आपने कभी सीजेआई से इसकी शिकायत की याचिका को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि याचिका किस तरह विचार के योग्य है।

पाकिस्तानी शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका

आत्मघाती हमले में 35 लोगों की मौत, 170 घायल; इस्लामाबाद में इमरजेंसी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद (इमामबाड़ा) में आत्मघाती हमला हुआ।

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, हमले में 35 लोगों की मौत हो गई है और 170 घायल हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत का काम शुरू कर दिया है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया और घायलों को वहां पहुंचाया जा रहा है। इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है।

राष्ट्रपति बोले- ये हमला इंसानियत के खिलाफ

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके में मारे गए लोगों के लिए शोक जताया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। जरदारी ने घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए।

मंत्री ने कहा- ऐसी घटनाएं देश का हौसला नहीं तोड़ सकती

पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री डॉ. तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस्लामाबाद में हुए धमाके की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में मारे गए लोगों के लिए दुखी हूं। ऐसी आतंकी घटनाएं देश और लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकतीं। जरूरत है कि हम सब मिलकर शांति के लिए एकजुट हों और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों के साथ मजबूती से खड़े रहें।

संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 9 फरवरी तक स्थगित

नई दिल्ली।

शुक्रवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर आम चर्चा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों के जोरदार विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित हो गई, जिसके चलते सोमवार (9 फरवरी) को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

संसद के निचले सदन में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोर-जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। सदन अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं से बार-बार हंगामा बंद करने का अनुरोध करने के बावजूद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो 5 मिनट के भीतर ही विधानसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, दोपहर में जब विधानसभा में चर्चा दोबारा शुरू हुई तो माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। विपक्षी नेता नारे लगाते रहे

और सरकार की आलोचना करते हुए तख्तियां लहराते रहे। लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे कृष्ण कुमार टेनेट्टी ने बताया कि अध्यक्ष ने कई सांसदों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सदन की कार्यवाही प्रारंभ की। भाजपा सांसद जेपी नड्डा सहित सभी केंद्रीय मंत्री संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के आगे कागजात रखने के लिए खड़े हुए। कुछ ही देर बाद विपक्षी सांसद जोर-जोर से नारे लगाते और तख्तियां लहराते हुए अध्यक्ष की कुर्सी के पास पहुंच गए। तेनेती के बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्षी सांसदों का विरोध जारी रहा। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सोमवार (9 फरवरी) को सुबह 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने का आदेश दिया। इस बीच, विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध किया और इसे «धोखाधड़ी» करार देते हुए एक बैनर लहराया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ शामिल हुईं और सांसदों ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए «जो उचित समझो वही करो और तानाशाही नहीं चलेगी» के नारे लगाए। यह नारा तब आया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कटाक्ष किया और कहा, «जो बहुत समझो वही करो»। एक दिन पहले, कांग्रेस सांसदों सहित विपक्ष ने संसद के चल रहे सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन किया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 2020 के चीन गतिरोध पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से उद्धृत करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

ओडिशा की तीन अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी

भुवनेश्वर । ओडिशा में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तीन जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। धमकी मिलने के बाद कटक, पुरी और फूलबनी की जिला अदालतों में अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने अदालत परिसर को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने बताया कि कटक, पुरी और फूलबनी के जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालतों को ईमेल मिले थे। ईमेल भेजने वाले ने कोर्ट परिसर में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद वकीलों, जजों और कोर्ट आए लोगों में दहशत फैल गई। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी धमकी मिली है। इससे पहले 8 जनवरी को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। तब कटक, देवगढ़ और संबलपुर की जिला अदालतों को धमकी मिली थी।

मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के लिए समय सीमा एक माह और बढ़ी, अब 6 मार्च तक नाम जुड़वा सकेंगे

लखनऊ । यूपी में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दावा और आपत्ति करने के लिए एक माह का समय और बढ़ा दिया गया है। अब मतदाता 6 मार्च तक सूची में संशोधन या नाम जुड़वा सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि 6 फरवरी तक बड़ी संख्या में आए फॉर्म 6 को देखते हुए दावे व आपत्ति की समय सीमा को एक महीने और बढ़ाया दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अब मतदाताओं के पास नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन करवाने के लिए 6 मार्च तक के लिए समय होगा। नोटिसों का निराकरण 27 मार्च तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बीएलओ हर रोज 10 से 12 बजे के बीच पोलिंग स्टेशन पर रहेंगे। दूसरे मतदाताओं के नाम कटवाने की शिकायत पर निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस तरह के मामले मीडिया में आ रहे हैं। इस पर सभी अधिकारियों को अलेयर किया गया है जिसके बाद अब किसी भी व्यक्ति को नाम कटवाना है कि तो उसे अपना वोटर कार्ड देना होगा। वहीं, नाम कटवाने के लिए कारण भी बताना होगा। एक साथ बड़ी संख्या में फॉर्म 7 स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री के भाषण में तथ्य नहीं था, विपक्ष के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सके : मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 97 मिनट के भाषण में कोई तथ्य नहीं था और वह विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत भी नहीं जुटा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से संसद नहीं चलाना चाहती। खरगे ने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री जी के भाषण पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी घटिया बात उन्होंने बोली है,

उन बातों का मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि झूठी बातों को दोहराना उनका हमेशा से एक काम रहा है। संसद में उनके 97 मिनट के भाषण में, हमारी बातों पर एक भी उत्तर नहीं दिया गया। सिर्फ 100 साल की, 75 साल की, 50 पचास साल की बात करते रहे। कांग्रेस नेता का कहना था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सरकार में बैठे दूसरे लोग बोल रहे थे कि जनरल एम एम नरवणे की पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन किताब मौजूद है। उन्होंने कहा कि किताब होने के बावजूद सदन में इस बात को नकारना विशेषाधिकार हनन है। खरगे ने कहा, जो मुद्दे हमने उठाए, आप (मोदी) उसका जवाब दीजिए। वह कहते हैं कि मुझे दो-दो किलो गालियां देते हैं। क्या गालियां बोलते हैं उन्होंने दावा किया, हमने जो मुद्दे उठाए थे, लोकसभा और राज्यसभा में उसका उत्तर देने की हिम्मत उनमें नहीं थी और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सिखों का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि सबको पता है कि कांग्रेस ने दुनिया के एक मशहूर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को दो बार प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी सिखों, दलितों और आदिवासियों का सम्मान नहीं करते।

बरातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 13 लोगों की मौत, 34 घायल

पिथौरागढ़ । भारतीय सीमा से लगे नेपाल बैतड़ी में बैतड़ी से बजांग जा रही बरात की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 13 बरातियों की मौत हो गई, जबकि 34 घायल हो गए। इनमें से कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुरुवार की रात्रि बैतड़ी के पुरचुंणी नगरपालिका सात भवने गांव से दुल्हन लेकर बजांग के सुनकुडा जा रहे बस पुरचुंणी के बड़गांव मोड से अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जिला प्रहरी कार्यालय बैतड़ी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बलदेव बढ़ू ने बताया कि रात्रि के समय नेपाल एपीएफ, प्रहरी एवं स्थानीय जनता द्वारा यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। जिला प्रहरी कार्यालय बैतड़ी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरिक्षक बलदेव बढ़ू ने बताया कि बस दुर्घटना में छह बरातियों की घटना स्थल में ही मौत हो गई। पांच बरातियों की डडेलधुरा अस्पताल में और ये बरातियों की कोटिला अस्पताल में मौत हो गई। घायलों में कुछ और बरातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में अधिक संख्या में बरती सवार थे। चढ़ाई के दौरान बस नहीं चढ़ पाई और हादसा हो गया। 25 घायल बारातियों का डडेलधुरा अस्पताल और पांच गंभीर रूप से घायल बरातियों को धनगढ़ी भेज दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी मंजूरी, महिला को बिना मर्जी मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी महिला की मर्जी के बिना उसे मां बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने एक नाबालिग लड़की की पीड़ा को समझते हुए उसे 30 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दी है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला के अपने शरीर और जीवन पर फैसले लेने का अधिकार सर्वोपरि है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने कहा कि जब लड़की खुद मानसिक या शारीरिक रूप से उस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना

उसके अधिकारों का हनन होगा। कोर्ट ने मुंबई के जेजे अस्पताल को पूरी सुरक्षा और मेडिकल देखरेख में यह प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।

अदालत ने इस बात को दरकिनार कर दिया कि गर्भ ठहरने की वजह क्या थी; कोर्ट के लिए सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि पीड़िता नाबालिग है और वह इस बोझ को आगे नहीं ढोना चाहती। सुनवाई के दौरान जजों ने स्वीकार किया कि यह उनके लिए भी एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ वह अजन्मा बच्चा था जो दुनिया में आ सकता था, और दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची का भविष्य था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कानून में वैसे तो 24 हफ्ते तक ही गर्भपात की सामान्य अनुमति है, लेकिन सिर्फ वक्त यादा बीत जाने के आधार पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर लड़की साफ तौर पर कह रही है कि वह मां नहीं बनना चाहती, तो 30 हफ्ते की मियाद को बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज और कानून के लिए एक नजीर की तरह है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि मां के हितों और उसकी पसंद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि न्यायपालिका व्यक्ति की गरिमा और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखती है।

लोकसभा: सदन का 19 घंटे 13 मिनट का समय बर्बाद हो चुका, स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली । संसद के बजट सत्र में भारी गतिरोध जारी है। लोकसभा में आज शुक्रवार (06 फरवरी) को भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने नारेबाजी और सदन में व्यवधान करने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। ओम बिरला ने कहा, उन्होंने प्रश्नकाल की शुरुआत के समय कहा, मेरा प्रयास होता है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का समय होता है। आज राजपाल जी और प्रियंका गांधी समेत अन्य सदस्यों के प्रश्न हैं। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हो चुका है।

उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है कि सदन चले, चर्चा और संवाद हो। लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं। देश की जनता ने पोस्टर और नारेबाजी के लिए आपको संसद में नहीं भेजा है। आपको चर्चा के लिए भेजा गया है। आप नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। ऐसा सदन मैं नहीं चला सकता। वहीं संसद में जारी हंगामे पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि हम सब देख रहे हैं। स्पीकर बार-बार बोल रहे हैं कि आपको (विपक्ष को) बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। ये संसद को गुमराह कर रहे हैं। संसद को चलने देना चाहिए। भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा, इस सत्र में कांग्रेस ने सदन को बाधित किया, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। देश के नागरिकों ने उनको चुनकर भेजा है और उन्हें वहां आकर उनकी समस्याओं की चर्चा करनी चाहिए और सरकार से सवाल करने चाहिए। आम आदमी को उससे राहत मिलती। कांग्रेस का रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन उनका इसके उलट विनाशकारी दृष्टिकोण है।

भारत ने छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता- इंग्लैंड को 100 रन से हराया

हरारे । भारत ने अंडर-19 विश्वकप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। यह टीम इंडिया का रिकॉर्ड छठा खिताब है। इससे पहले भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर-19 विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत ने इंग्लैंड के सामने 412 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम 40.2 ओवर में 311 रन रन पर सिमट गई। टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी फाइनल के सुपरस्टार रहे। उन्होंने 80 गेंद में 175 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं, इंग्लैंड की ओर से कैलब फाल्कनर ने शतक जड़ा, लेकिन टीम को नहीं जिता पाए। फाल्कनर ने 67 गेंद पर 115 रन की पारी खेली।

भारत ने की रिकॉर्ड्स की बरसात

100 रन से जीत अंडर 19 विश्व कप फाइनल में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। उन्होंने 2024 में भारत को 79 रन से हराया था। वहीं, 411 रन का स्कोर अंडर-19 विश्व कप और अंडर-19 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर रहा। अंडर-19 विश्व कप में सबसे बड़े स्कोर के मामले में भारत ने इंग्लैंड का ही रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड ने इसी विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ छह विकेट पर 404 रन बनाए थे। भारत अंडर-19 विश्व कप के प्लेऑफ मुकाबले में 350 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड भारत के ही नाम था। 2016 क्वार्टरफाइनल में नामीबिया के खिलाफ 349/6 रन बनाए थे, जब ऋषभ पंत ने 96 गेंदों में 111 रन की धमाकेदार पारी

खेली थी। अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इससे पहले सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 253/7 था, जो उसने 2024 में भारत के खिलाफ बनाया था। भारत ने इस बार उस रिकॉर्ड को भी काफी पीछे छोड़ दिया। यह भारत का अंडर-19 विश्व कप में तीसरा 400+ स्कोर है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की किसी और टीम ने इस टूर्नामेंट में एक से ज्यादा बार 400 रन का आंकड़ा नहीं छुआ।

भारत की पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी। 20 पर पहला झटका लगा था। एरॉन जॉर्ज नौ रन बनाकर आउट हुए थे। हालांकि, इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे ने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 90 गेंद में 142 रन की साझेदारी निभाई। म्हात्रे 51 गेंद में सात चौके और दो छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुए। वैभव ने 32 गेंद में अर्धशतक और 55 गेंद में शतक पूरा किया। फिर 71 गेंद में 150 रन बनाए।

वह 80 गेंद में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रन बनाए। वैभव ने तीसरे विकेट के लिए वेदांत त्रिवेदी के साथ 39 गेंद में 89 रन की साझेदारी निभाई। वैभव का विकेट 251 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद भारत ने 160 रन बनाए और सात विकेट गंवाए। वेदांत ने 36 गेंद में 32 रन, विहान मल्होत्रा ने 36 गेंद में 30 रन की पारी खेली। वहीं, अभिज्ञान कुंडू ने 31 गेंद में 40 रन बनाए। आरएस अंबरीश 18 रन बना सके। वहीं, कनिष्क चौहान ने 20 गेंद में नाबाद 37 रन बनाए। खिलन पटेल तीन रन, हेनिल पटेल पांच रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से जेम्स मिंटो ने तीन विकेट लिए। वहीं, सेबास्टियन मॉर्गन और एलेक्स ग्रीन को दो-दो विकेट मिले। वहीं, मैनी लम्सडन को एक विकेट मिला।

इंग्लैंड की पारी

जवाब में इंग्लैंड की भी शुरुआत खराब रही। 19 पर टीम को पहला झटका लगा। जोसेफ मूर्स 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बेन डॉकिंस और बेन मायेस ने दूसरे विकेट के लिए 49 गेंद में 74 रन की साझेदारी निभाई। मायेस और डॉकिंस के आउट होते ही इंग्लैंड का मध्यक्रम लुढ़क गया। डॉकिंस ने 56 गेंद में सात चौके और दो छक्कों की मदद से 66 रन की पारी खेली। वहीं, मायेस 28 गेंद में सात चौके और दो छक्कों की मदद से 45 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान थॉमस रियू 18 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए। राल्फो अल्बर्ट और सेबास्टियन मॉर्गन खाता नहीं खोल सके, जबकि फरहान अहमद एक रन बना सके। जेम्स मिंटो ने कैलब फाल्कनर के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 80 गेंद में 92 रन की साझेदारी निभाई। मिंटो 28 रन बनाकर आउट हुए। फाल्कनर ने शतक लगाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लम्सडेन तीन रन बनाकर आउट हुए। फाल्कनर आखिरी विकेट के रूप में पवेलियन लौटे। वह 67 गेंद में नौ चौके और सात छक्कों की मदद से 115 रन बना सके। भारत की ओर से आरएस अंबरीश ने तीन और दीपेश देवेंद्रन ने दो विकेट लिए। वहीं, कनिष्क चौहान को भी दो विकेट लिए। खिलन पटेल और आयुष म्हात्रे को एक-एक विकेट मिला।